फैक्स/समयबद्ध

संख्या:- 1077(1)/1-10-2014-12(34)/03टी0सी0

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर 2014

विषय- वर्ष 2014-15 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता एवं वितरण और राहत कार्यों का संचालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रदेश में वर्ष 2014-15 अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कम्बल आदि क्रय किये जाने तथा अलाव जलाने के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों को शासनादेश संख्या-505/1-10-14-12(34)/03टी.सी.I. दिनांक 12.11.2014 धनराशि स्वीकृत करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1077/1-10-14-12(34)/03टी.सी.I, दिनांक 05.12.2014 द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड के साथ-साथ शीतलहरी/कोहरा का प्रकोप प्रारम्भ हो गया है। अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से सामान्य जन विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को बचाया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

1– प्रदेश में पड़ रही अत्यधिक ठण्ड, शीतलहरी से बचाव हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने एवं निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को निःशुल्क कम्बल आदि के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा के अभाव में न हो।

2– नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि द्वारा निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के ठण्ड से बचाव के लिए अपने क्षेत्र में रैन बसेरे, शेल्टर होम आदि की स्थापना की जाती है। इन रैन बसेरों, शेल्टर होम में रूकने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के ठण्ड से बचने के लिए आवश्यक समस्त उपाय किए जायें तथा इन रैन बसेरों के आस–पास अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

3– क्रय किये जाने वाले कम्बलों की मानक के अनुसार शत–प्रतिशत गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये।

4– यह भी सुनिश्चित किया जाय कि शीतलहरी के कारण किसी प्रकार की जन हानि की सम्भावना न हो। इसके लिए जो भी चिकित्सा एवं अन्य सुविधा की आवश्यकता हो, उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाय। ठण्ड, धुन्ध, कोहरे आदि से किसी भी प्रकार की क्षति न हो, इसको ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो विद्यालयों की प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को आवश्यकतानुसार बन्द रखने पर विचार किया जाय।

5– प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा क्रय किए गए कम्बलों में से एक कम्बल जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से सीलबन्द करके राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, छठां तल, लखनऊ को तत्काल प्रेषित किया जाये ताकि शासन द्वारा कम्बल की गुणवत्ता को देखा जा सके।

उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।